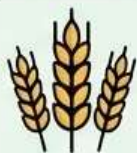


निगम द्वारा बीज उत्पादन हेतु कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन योजनाएँ



गेहूँ प्रमाणित बीज

मूल्य: MSP/बाजार भाव (जो अधिक हो)
+ ₹100/प्रति कुं. + छानस



धान प्रमाणित बीज

मूल्य: MSP/बाजार भाव (जो अधिक हो)
+ ₹100/प्रति कुं. + छानस



दलहन, तिलहन एवं मिलेट्स (प्रमाणित बीज)

प्रसंस्करण उपरान्त

मूल्य: MSP/बाजार भाव + अतिरिक्त ₹300/प्रति कुं. + छानस



“आत्म निर्भरता मिशन फार पलसेस” योजना

आधारभूत बीज पर
प्रोत्साहन धनराशि सीधे किसान के खाते में



बोरों का बग



बोरों का उपयोग
निगम द्वारा ₹20/प्रति कुं.
की दर से भुगतान



बोरों की वापसी
खाली बोरों को किसान
को वापस किया जाता है



यातायात दूरी अनुदान

उत्पादन स्थल से संयंत्र/केन्द्र तक
अनुदान: ₹6.00 से ₹37.50 प्रति कुं. तक (दूरी के अनुसार)

